



निविदा सूचना संख्या:-35/2018-19

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

दिनांक 04/03/2019

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-


क. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.व्यू धनराशि (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा मूल्य (रु० में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभियंत्रण खण्ड
1	भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था प्राधिकरण की स्थापना हेतु कोर्ट रूम तैयार करने हेतु सिविल सम्बन्धी कार्य। (पार्ट-ए)	9.87	19,800/-	560/-	45 दिन	E	खण्ड-4
2	भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था प्राधिकरण की स्थापना हेतु कोर्ट रूम में फर्नीचर आपूर्ति एवं 03 ए० सी० की स्थापना का कार्य। (पार्ट-बी)	9.20	18,500/-	560/-	45 दिन	E	

नियम व शर्तें:-

- उक्त कार्यो की निविदायें दिनांक 06.03.2019 को आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदायें मुख्य अभियंता कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 06.03.2019 को अपराह्न 3:00 बजे तक डाली जा सकेगी तथा उसी दिन निविदा दाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष 3:30 बजे खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियंता कार्यालय से दिनांक 02.03.2019 से 05.03.2019 के अपराह्न 3:00 बजे तक निविदा मूल्य भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
- वांछित धरोहर धनराशि राष्ट्रीय कृत बैंक की FDR/NSC के माध्यम से, जो कि अधिशासी अभियंता के पक्ष में बंधक की गई हो। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा सीलबंद कर दी जायेगी।
- निविदा डालने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की स्थिति का आंकलन अवश्य कर ले। समस्त शंकाओं का समाधान अधिशासी अभियंता से कर ले। निविदा डालने के उपरान्त निविदादाता का कोई भी पक्ष मान्य न होगा। शर्तें निविदा मान्य न होगी।
- निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी.सी-2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
- सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदा दाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होगी।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यो में Two Bid System के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- सिविल कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
- निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्वादा रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।


पत्रांक : 562/डी/सी.ई./2018-19.

दिनांक : - 04/03/2019


मुख्य अभियंता

प्रतिलिपि :-

- उपाध्यक्ष महोदया को अवलोकनार्थ।
- सचिव/वित्त नियंत्रक को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अधीक्षण अभियंता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेब साइट एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायें।
- समस्त अधि०अभि० अपने से सम्बन्धित कार्य की बी.ओ.व्यू, समयान्तर्गत विकय सुनिश्चित करायें।
- नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।


मुख्य अभियंता